भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5354

28 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति

5354. श्री राजन विचारे:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहीद, विकलांग और लापता सैनिकों / अफसरों सहित कार्यरत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सैन्य कर्मियों के बच्चों को ट्यूशन फीस और छात्रावास फीस की प्रतिपूर्ति में कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में कितनी बचत होने की संभावना है;

(ग) क्या सैन्य कर्मी और भूतपूर्व सैन्य कर्मी सरकार के इस निर्णय से निराश हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)

(क): जी**,** हां।

(ख): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग **(7**वें सीपीसी**)** की सिफारिशों के अनुसार सैन्य बलों के अफसरों **/** सैन्य कार्रवाई में लापता **/** विकलांग **/** मारे गए पीबीओआर के बच्चों को दिए जाने वाले ट्यूशन शुल्क और छात्रावास शुल्क की संयुक्त राशि की उच्चतम सीमा 10,000/-रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

यह ध्यान में रखते हुए कि छात्रों की संख्या और ट्यूशन **/** छात्रावास शुल्क दोनों ही असीमित हैं इसलिए बचत की निश्चित **/** एक समान राशि नहीं बताई जा सकती। वर्ष 2017-18 के दौरान सूचित किए गए कुल 2679 छात्रों में से 193 छात्रों द्वारा ट्यूशन **/** छात्रावास शुल्क की उच्चतम सीमा से अधिक धनराशि आहरित करने की सूचना मिली है और **3.20** करोड़ रुपये **(**लगभग**)** की बचत होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग): ट्यूशन शुल्क **/** छात्रावास शुल्क की संयुक्त धनराशि पर लगी 10,000/-रूपये प्रतिमाह की उच्चतम सीमा को हटाने के लिए कुछ प्रभावित लाभार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ): सरकार ने 10,000/-रुपये प्रतिमाह की उच्चतम सीमा के बिना शिक्षा संबंधी रियायतों को जारी रखने का निर्णय लिया है।

***